

15-11-17

वकील अपील-2 या स्वयं अपी- कोई उपोद्योग नहीं है।
अपी. को बार-बार आवेजें दिखाई गई। अपी. को
और से कोई उप. नहीं है। रेलों. ऑफिस का उपोद्योग
है। अतः अपील अपील-2 अदम हाजरी व अदम
पैरवी में रवारिज की जाती है। पत्रावली फिसल शुमार
होकर बाद तकरीब जावता दाखिल दफतर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर जं. भाग, भरतपुर